

समक्ष डी. एस. तेवतिया और ए. एस. बेंस, न्यायमूर्ति।

आय कर आयुक्त-आवेदक।

बनाम

हरदित सिंह सिंह पाल-उत्तरदाता।

1974 की आय कर संदर्भ संख्या 4. 26 अक्टूबर, 1978।

आयकर अधिनियम (1961 का 63)-धारा 184 और 185-पंजाब आबकारी अधिनियम (1914 का 1)-धारा 26 और 58-पंजाब शराब लाइसेंस नियम 1956- नियम 3,6,7 और 37 (26)-आबकारी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत व्यक्तियों को दिया गया शराब लाइसेंस- ऐसे व्यक्ति अजनबियों के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं- उन अजनबियों के नाम जिनका लाइसेंस पर समर्थन नहीं है-ऐसी साझेदारी-चाहे वे आयकर अधिनियम के तहत पंजीकरण के हकदार हों।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का योग और सार यह है कि कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ की अनुमेय मात्रा से अधिक अर्थात् i.e. उपभोग के लिए शराब, या बिना लाइसेंस के बेचें। यदि लाइसेंसधारी एक फर्म है, तो संबंधित अधिकारियों की मंजूरी के बिना नए भागीदार लेने पर प्रतिबंध है। नियम किसी को भी लाइसेंसधारी की ओर से तब तक बेचने से रोकते हैं जब तक कि ऐसे व्यक्ति का नाम लाइसेंस पर अनुमोदित और अनुमोदित न हो। 'लाइसेंस की शर्तों के आधार पर कि लाइसेंस नियमों के प्रावधानों के अधीन दिया गया है, उपरोक्त प्रावधान लाइसेंस में शर्तों के रूप में शामिल किए गए हैं। यदि उन अजनबियों के नाम जिनके साथ लाइसेंसधारी ने साझेदारी की थी, लाइसेंस पर समर्थित नहीं थे, तो यह नियम 37 के उप-नियम 26 का उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में उसने साझेदारी का वैध अनुबंध करने के प्रयोजनों के लिए साझेदारी अधिनियम या अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया होगा, लेकिन वह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 184 और 185 के तहत आयकर के उद्देश्य के लिए पंजीकृत होने का हकदार नहीं था क्योंकि उसने आबकारी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए शराब रखने और बेचने का व्यवसाय किया था।

(पैरा 7 और 8)

आयकर अपीलिय अधिकरण (चंडीगढ़ पीठ) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256 (1) के अधीन 5 अप्रैल, 1973 के अपने आदेश से उद्भूत विधि के निम्नलिखित प्रश्न पर इस माननीय उच्च न्यायालय की राय के लिए, 1970-71 के आई. टी. ए. संख्या 1475 में 1973-74 के आर. ए. संख्या 19 में पारित किया गया।

आकलन वर्ष 1964-65

"चाहे तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण फर्म को पंजीकरण की अनुमति देने में उचित था।"

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बी के झिंगन के साथ डी एन अवस्थी।

प्रत्यर्थी के लिए कोई नहीं।

डी. एस. तेवतिया, न्यायमूर्ति:-

(1) दो व्यक्तियों, हरदित सिंह और पलटी चंद ने पंजाब आबकारी अधिकारियों से सरहिंद में पूरी बिक्री के लिए और सरहिंद मंडी, सरहिंद सिटी, जलबेहरा और माधौर में खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था। उक्त व्यवसाय को चलाने के लिए लाइसेंस और अनुबंध प्राप्त करने के बाद उक्त दो भागीदारों ने आठ अन्य व्यक्तियों विनोद सिंह, मुल्क राज, कमल देव, हरदेव सिंह, मेहर सिंह, रहमान सिंह, रामजी दास, महाराज कृष्ण के साथ हाथ मिलाया और साझेदारी फर्म का गठन किया जिसे मेसर्स हरदित सिंह-पाल चंद एंड कंपनी, वाइन कॉन्ट्रैक्टर्स, सरहिंद के नाम से जाना जाता है। फर्म ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 184 और 185 के तहत आयकर अधिकारियों के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन किया (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है। आयकर अधिकारी ने पंजीकरण से इनकार कर दिया। अपील पर, (न्यायाधिकरण ने पंजीकरण की अनुमति दी। आय-कर आयुक्त ने निम्नलिखित प्रश्न को इस न्यायालय को भेजे जाने की मांग की, जिसे अधिकरण ने किया:- "क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर अधिकरण ने फर्म को पंजीकरण की अनुमति देना उचित था?"

(2) जैसा कि प्रत्यर्थी-निर्धारिती की अपील पर अपीलीय अधिकरण के आदेश से स्पष्ट होगा, उसने जैरेड और सह बनाम आयकर आयुक्त, यू पी में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बल पर राजस्व के खिलाफ मामले का समापन किया। इसके आदेश के निम्नलिखित अंश से यह स्पष्ट होगा:- "दोनों पक्षों को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि ऊपर उद्धृत जैरेड एंड कंपनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स द्वारा निर्धारित अनुपात पूरी तरह से निर्धारिती के मामले को कवर करता है और जब हमारे सामने एक समान मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उच्च न्यायालय के फैसले पर प्राथमिकता लेता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय देश का कानून है। ऊपर उल्लिखित दो उद्धरणों में व्यक्त किए गए उनके विचारों के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, हम जैरेड एंड कंपनी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप के फैसले का पालन करते हैं और मानते हैं कि निर्धारिती फर्म पंजीकरण का हकदार है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि पंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए।

(3) राजस्व के विद्वान वकील, डी. एन. अवस्थी ने यह तर्क दिया है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से इस आधार पर विभेदक है कि क्या यू. पी. उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 322 ने यू. पी. उत्पाद शुल्क नियमावली के तहत फॉर्म एफ. एल. 2 में निर्धारिती कंपनी के भागीदारों में से एक को दिए गए लाइसेंस को नियंत्रित किया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त नियम लाइसेंस 5 को नियंत्रित नहीं करता था और लाइसेंस में कोई शर्त नहीं थी, जो इसके धारक को अजनबियों के साथ साझेदारी में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करती थी। लाइसेंस में निर्दिष्ट शर्त में केवल यह प्रावधान किया गया है कि लाइसेंस हस्तांतरण के अधीन नहीं होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि लाइसेंस के धारक के खिलाफ अजनबियों के साथ साझेदारी में प्रवेश करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, इसलिए यह सवाल नहीं उठा कि क्या साझेदारी अवैध थी।

(4) राजस्व के लिए विद्वान वकील द्वारा यह कहा गया है कि आबकारी अधिनियम और नियमों के प्रावधान, जिनका वर्तमान में उल्लेख किया जाएगा, स्पष्ट रूप से एक लाइसेंसधारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शराब रखने और इसकी बिक्री को प्रतिबंधित करते हैं और यह कि फॉर्म 1 में दिए गए लाइसेंस में एक स्पष्ट शर्त है जो यह प्रदान करती है कि लाइसेंस पंजाब शराब लाइसेंस नियमों के प्रावधानों के अधीन दिया गया है, इस प्रकार लाइसेंस की शर्तों में नियमों में निहित सभी प्रतिबंधों और निषेधों का आयात किया जाता है।

(5) पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 24 (जिसे इसके पश्चात् आबकारी अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में यह उपबंध है कि किसी व्यक्ति के पास ऐसी मात्रा से अधिक मात्रा में कोई मादक पदार्थ नहीं होगा जिसे राज्य सरकार ने, धारा 5 के अधीन, प्राधिकरण के अधीन और अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार छोड़कर, खुदरा विक्रय की सीमा घोषित किया है। धारा 26 अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि प्राधिकरण के अधीन और लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अधीन होने के अलावा कोई भी मादक पदार्थ नहीं बेचा जाएगा। धारा 58 ने राज्य सरकार को उत्पाद शुल्क अधिनियम या उत्पाद शुल्क राजस्व से संबंधित किसी अन्य कानून के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बनाने में सक्षम बनाया।

(6) आबकारी अधिनियम की धारा 58 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब सरकार ने पंजाब शराब लाइसेंस नियम, 1956 जारी किए। इसके नियम 3 में कुछ परिसरों के संबंध में एक निश्चित लाइसेंसधारी को लाइसेंस देने की परिकल्पना की गई है। नियम 4 में यह प्रावधान है कि लाइसेंस केवल-(ए) एक व्यक्ति, (घ) साझेदारी या फर्म को दिया जा सकता है नियम 6 में प्रावधान है कि जब किसी साझेदारी या फर्म को लाइसेंस दिया जाता है जो किसी अधिनियम के तहत निगमित नहीं है, तो साझेदारी या फर्म वाले सभी व्यक्तियों को लाइसेंस पर निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। नियम 7 मूल भागीदार को एक नया भागीदार लेने में सक्षम बनाता है बशर्ते कि प्रस्तावित भागीदार पंजाब मादक पदार्थ लाइसेंस और बिक्री आदेश या इन नियमों के तहत पात्र हो, इस मामले में वह अपनी मुद्रा की अवधि के दौरान लाइसेंस के तहत किए गए सभी दायित्वों के लिए जिम्मेदार होगा जैसे कि यह मूल रूप से उसके नाम पर दिया गया था या नवीनीकृत किया गया था। नियम 37 का उपनियम (26) लाइसेंसधारी को किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर से बिक्री करने की अनुमति देने से प्रतिबंधित करता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति का नाम पहले कलेक्टर को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया हो और लाइसेंस पर उसके द्वारा अनुमोदित न किया गया हो।

(7) आबकारी अधिनियम और ऊपर निकाले गए नियमों के प्रावधानों का योग और सार यह है कि किसी भी व्यक्ति के पास अनुमत मात्रा से अधिक मादक पदार्थ नहीं होगा जो उपभोग के लिए शराब है या बिना लाइसेंस के बेचा जाता है। यदि लाइसेंसधारी एक फर्म है, तो संबंधित अधिकारियों की मंजूरी के बिना नया भागीदार लेने पर प्रतिबंध है। नियम किसी को भी लाइसेंसधारी की ओर से बेचने से प्रतिबंधित करता है जब तक कि ऐसे व्यक्ति का नाम लाइसेंस पर अनुमोदित और अनुमोदित न हो।

(8) अनुज्ञप्ति की शर्तों के आधार पर कि अनुज्ञप्ति नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए दी गई है, नियमों का उपरोक्त उपबंध अनुज्ञप्ति की शर्तों के रूप में सम्मिलित किया गया है। अधिकरण द्वारा यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि लाइसेंस के लिए अजनबी आठ व्यक्तियों के नाम नियम 37, उप-नियम के संदर्भ में लाइसेंस पर समर्थित नहीं थे (26). ऐसी स्थिति में, भागीदार ने साझेदारी के वैध अनुबंध में प्रवेश करने के प्रयोजनों के लिए साझेदारी अधिनियम या अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया होगा, लेकिन वह धारा 184 और 185 के तहत आयकर के

उद्देश्य के लिए पंजीकृत होने का हकदार नहीं था क्योंकि उसने पंजाब आबकारी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए शराब रखने और बेचने का व्यवसाय किया था।

(9) वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से जैरेड एंड कंपनी के लाइसेंस के मामले से अलग है, जिसके लिए उनके लॉर्डशिप्स द्वारा संदर्भ दिया गया है, जिसमें वर्तमान मामले की तरह की शर्तें नहीं थीं। मामले में आयकर आयुक्त बनाम बनारसी दास एंड कंपनी (2) और लाई चंद मोहन लाल, फाजिल्का बनाम आयकर आयुक्त, पंजाब (3) में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय उपयुक्त रूप से लागू होते हैं। इन निर्णयों का अनुपात स्पष्ट रूप से आकर्षित करता है और आयकर अधिकारी और अपीलीय सहायक आयुक्त द्वारा इनका उचित रूप से पालन किया गया है।

(10) निर्धारित प्रत्यर्थी ने, किसी न किसी स्तर पर, आयकर आयुक्त, पटना बनाम के. सी. एस. रेड्डी (4) और अवध कोकोगेम और प्रोविजन स्टोर बनाम आयकर आयुक्त, पटना के आयुक्त पर भी भरोसा किया था। आय-कर, यू पी (5)। इन दोनों मामलों में शामिल तथ्य और परिस्थितियाँ पूरी तरह से अलग हैं और इन दोनों मामलों में स्पष्ट रूप से अंतर किया जा सकता है। इन मामलों में, यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि फर्म किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं थी।

(11) श्री डी. एन. अवस्थी, विद्वान अधिवक्ता ने पूरी निष्पक्षता से आयकर आयुक्त, पटियाला बनाम ज्ञान चंद एंड कंपनी (6) में डिवीजन बेंच के फैसले को हमारे संज्ञान में लाया, क्योंकि इसका वर्तमान मामले पर सीधा असर नहीं है, बल्कि इस प्रभाव के लिए एक आज्ञाकारी आदेश के कारण है कि जैरेड एंड कंपनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले (उपरोक्त ने इस अदालत के पहले के दो फैसलों के बल को हिलाकर रख दिया था जो कि बनारसी दास एंड कंपनी के मामले में रिपोर्ट किए गए थे और लाल चंद मोहन लाल, फाजिल्का के मामले में थे। (supra). यह उस फर्म का मामला था जिसके पांच भागीदारों ने सार्वजनिक जल में मछली पकड़ने के लिए पंजाब सरकार के मत्स्य पालन विभाग से अपने अलग-अलग नामों पर लाइसेंस प्राप्त किया था। वे एक ही फर्म में अन्य चार व्यक्तियों के साथ भागीदार के रूप में शामिल हो गए। साझेदारी ने आयकर अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया था।

(12) पूछा गया प्रश्न यह था कि क्या चार अन्य लोगों को भागीदार बनाकर बनाई गई साझेदारी अवैध फर्म बन गई थी। मत्स्य पालन अधिनियम में आबकारी अधिनियम या नियमों में मछलियों को बेचने या रखने के संबंध में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। पंजाब मत्स्य पालन अधिनियम, 1914 की धारा 3 के तहत परिकल्पित एकमात्र निषेध यह है कि कोई भी बिना लाइसेंस के सार्वजनिक वेटरों में मछली पकड़ने में शामिल नहीं होगा। धारा 3 निर्धारित मौसमों की उपधारा (3) का खंड (ख) जिसके दौरान मछलियों की हत्या निषिद्ध थी। धारा 3 की उपधारा (3) का खंड (सी) निर्धारित न्यूनतम वजन से कम मछली को मारने का निषेध करता है। धारा 4 ने अधिसूचना द्वारा राज्य को अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और (सी) के उल्लंघन में किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में मछली की बिक्री को प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया।

(13) जहां तक मछली पकड़ने के लाइसेंसों का संबंध है, मत्स्य पालन नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं था जो साझेदारी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाता हो।

(14) राजस्व की ओर से आयकर आयुक्त के कहने पर मामला उच्च न्यायालय में आया। रिलायंस को इस अदालत के दो खंड पीठ के फैसलों पर रखा गया था, जो बनारसी दास एंड कंपनी के मामले (ऊपर) और लाल चंद मोहन लाल, फाजिल्का के मामले (ऊपर) में रिपोर्ट किए गए थे। यह इंगित किया गया था कि

निर्णय अफीम लाइसेंस से संबंधित हैं और फिर पारित करने में यह देखा गया कि जैरेड एंड कंपनी (ऊपर)के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इसकी शुद्धता को खतरे में डाल दिया गया था।

(15) जिस हद तक पीठ ने जैरेड एंड कंपनी के मामले पर भरोसा किया, उस जीवन में यह सही था कि जैरेड एंड कंपनी के मामले में लाइसेंस में लाइसेंसधारक को साझेदारी में प्रवेश करने से रोकने की कोई शर्त नहीं थी। पंजाब मत्स्य पालन नियमों में ऐसा कोई नियम नहीं था जो लाइसेंसधारी को मछली पकड़ने के लाइसेंस के संबंध में साझेदारी करने से रोकता हो। लेकिन ऐसा अभिनिर्धारित करने के पश्चात् इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों की शुद्धता की जांच करना अनावश्यक था जो अफीम अधिनियम और नियमों के आलोक में दिए गए थे, जिसमें निहित शर्तें और निषेध आबकारी अधिनियम और उसके अधीन नियमों में निहित शर्तों और निषेधों के समान हैं।

(16) बताए गए कारणों के लिए, हम संदर्भ का उत्तर नकारात्मक में देते हैं जो निर्धारिती के खिलाफ और राजस्व के पक्ष में है। चूंकि निर्धारिती का हमारे सामने प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

(2) 44 आई टी आर 835।

(3) 65 आई टी आर 418।

(4) 38 आई टी आर 560।

(5) 69 आई टी आर 819।

(6) 87 आई टी आर 113।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

प्रियंका वर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फरीदाबाद, हरियाणा